रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1980/कार्तिक 3, 1902
No. 203] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1980/KARTIKA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० : 70 ई टी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : मटन (भेड़ का मांस) के निर्यात के संबंध में नीति।

[सिसिल सं० 1/1/80-ई० I]—मटन के निर्यात पर लगे रोक को हटाने वाले निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ०, 1977/एएम (183), दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि मटन (भेड़ के मांस) पर लगी रोक को तुरन्त हटाया जाए और अब इसके निर्यात की अनुमति मासिक रिहाई के आधार पर सीमित उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर 16 रुपये प्रति कि० ग्रा० जहाज पर्यन्त निशुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत पर दी जाएगी । कोटे का विनियमन करने के लिए पूर्ण उच्चतम निर्धारित सीमा ताजा मांस और जीवित पशु निर्यात संघ के अधिकार में रखी जाएगी । कोटे का निर्धारण पोतपरिवहन बिलों/वायुमार्ग बिलों पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा । माल की सड़ने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पृष्ठांकन अधिक से अधिक 72 घंटों की अवधि के लिए वैध होगा । मटन के निर्यात का विनियमन अरेलु मंडियों में इस माल की उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित कंडिका में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जाएगा ।

3. उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए निर्यात नीति 1980-81 के नीति विवरण में क्रम सं० 6 के सामने प्रदर्शित विद्यमान प्रविष्टि 6(क) के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी और निम्नलिखित को 6(ख) के रूप में जोड़ा जाएगा :—

1	2	3
6(ख)	भारतीय भेड़ का मांस जिस में दिल, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुर्दे और अन्य अंग शामिल हैं।	भारतीय भेड़ों के मांस के निर्यात की अनुमति मासिक आधार पर रिहा की गई सीमित उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर 16 रु० प्रति किलो ग्राम जहाज पर्यन्त निशुल्क न्यूनतम निर्यात कीमत पर पोत परिवहन बिल/वायुमार्ग बिल प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :— (i) केवल भेड़ के मांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी । (ii) निर्यात एकदम बिक्री के आधार पर होगा और माल परेषण निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी । (iii) कोटे का आवंटन सदान बिल/वायुयान बिल जो कि अधिक से अधिक 72 घंटों के लिए वैध होंगे, उन पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा । (iv) कोटे के नियमन के लिए सम्पूर्ण उच्चतम सीमा का निपटान ताजा मांस तथा जीवित पशु निर्यातक संघ द्वारा किया

1	2	3

जाएगा। कोटे के नियमन के लिए संघ निम्नलिखित मार्गदर्शनों का पालन करेगा ।

(क) संघ को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि निर्यातक दैनिक घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद ही महानगरीय मंडियों से वध के लिए जीवित भेड़ खरीदेगा । यदि किसी भी विशेष दिन कुल भेड़ इस आवश्यकता से कम पहुंचती हों तो निर्यात के लिए कोई खरीद नहीं की जानी चाहिए ।

(ख) यदि उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित शर्त पूरी हो जाती हो तो निर्यातक मार्किट में वध के लिए भेड़ की खरीद के लिए उस समय जाएगा जबकि देशी आवश्यकताओं के लिए खरीद पूर्ण कर ली गई हो । इसका यह अर्थ हुआ कि दिल्ली के मामले में निर्यातक मंडी में सुबह 11.30 बजे के बाद ही जाएगा । इसी प्रकार वे बूचड़-खाने का उपयोग भी बूचड़खाने में घरेलू आवश्यकताओं के लिए पशु वध की पूर्ति के बाद ही करेंगे ।

(ग) व्यक्तिगत निर्यातकों को आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाना चाहिए । लेकिन इस मामले में 1980-81 की निर्यात नीति की कंडिका 14 में की गई व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी ।

(घ) अधिक माल के शीघ्र सड़ने की प्रकृति होने के कारण और चूंकि मासिक उच्चतम सीमा को भी पूरा करना पड़ेगा उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए कोटे के आबंटन की वैधता केवल 72 घंटे ही होगी ।

(ङ) यदि दिल्ली या बंबई में मासिक कोटा उपयुक्त पड़ा रह जाए तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह इसे एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में हस्तांतरित कर दे किन्तु उसे इस बात का सुनिश्चय करना होगा कि एक केन्द्र से कुल निर्यात इतना न किया जाए जिससे कि कीमतों पर प्रभाव पड़े ।

(च) संघ वाणिज्य मंत्रालय को अनुवर्ती मास की 7 तारीख तक पिछले मास के दौरान दो केन्द्रों से किए गए निर्यातों की सूचना भेजेगा ।

(छ) ताजा मांस और जीवित पशु निर्यातक संघ द्वारा किए गए कोटे के आबंटन के आधार पर निर्यात की स्वीकृति सीधे ही सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 70-ETC (PN)/80

New Delhi, the 25th October, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

Sub : Export of Mutton (sheep meat)—Policy regarding.

[F. No. 1/1/80—E. I].—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E (C)O, 1977/AM (183) dated the 25th October, 1980 lifting the ban on export of mutton.

2. It has been decided to lift the ban on export of mutton (sheep meat) with immediate effect and its export will now be allowed within a limited ceiling released on monthly basis, subject to minimum Export Price of Rs. 16 per Kg. f.o.b. The entire ceiling will be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association for regulating the quota. The allocation of quota will be by way of endorsement on shipping bills/air-way bills. The endorsement will be valid for a maximum period of 72 hours in view of the perishable nature of the commodity. The export of mutton shall be regulated according to the availability of this commodity within the domestic mandis subject to the conditions indicated in the following paragraph.

3. In view of the above, the existing entry appearing in Policy Statement of Export Policy 1980—81 against S. No. 6, shall be re-numbered as 6(a) and the following shall be added as 6(b):—

1	2	3
6(b)	Meat of Indian sheep including heart, liver, lungs brain, tongue, kidneys and other organs	Export of Meat of Indian sheep will be allowed subject to minimum Export Price of Rs. 16 per Kg. f.o.b., within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of shipping bills/air-way bills, subject to the following conditions :— i) Export of sheep meat only will be allowed. ii) Export will be on out-right sale basis and no consignment export shall be allowed. iii) The allocation of quota will be by way of endorsement on shipping bills/air-way bills valid for a maximum period of 72 hours. iv) The entire ceiling will be placed at the disposal of fresh Meat and Live Stock Exporters' Association for regulating the quota. The following guidelines will be followed by the Association in regulating the quota. a) The Association should ensure that exporters purchase live sheep for slaughter from Metropolitan mandis only after the daily requirements in the

1	2	3
		domestic market are met. If the total arrival on any particular day falls short of this requirement, no purchases for export should be made.
		b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of sheep for slaughter at a time after the indigenous requirements have been purchased. In case of Delhi, this would mean the exporters will enter the mandi only after 11.30 A.M. Similarly, they will use the slaughter house only after domestic slaughtering has been done.
		c) Allocation to individual exporters should be made on first-come, first-served basis. However, provisions of para 14 of Export Policy 1980-81 will not apply in this case.
		d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceilings will have to be met, the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only.
		e) In case the monthly quota remains unutilised in either Delhi or Bombay, the Association will be empowered to transfer it from one centre to another ensuring that the total exports from one centre do not increase to the extent that prices are upset.
		f) The Association will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the exports from the two centres during the preceding month.
		v) The export will be allowed by the Customs Authorities directly on the basis of quota allocation made by Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1980